NOTE FOR PAD

The Details of the Bank Balance of the Panchayats *81 Sh. Bishan Lal Saini (Radaur)

As per the provisions under Sub section (1) of section 3 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 the tenure/term of the Gram Panchayats got expired on 23 Feb, 2021 except those Gram Panchayats whose tenure/term of 5 Years was not completed on that day. Therefore, as per Sub section 2 of section 52 of the Act, the Block Development and Panchayats Officers were appointed as Administrator of all the Gram Panchayats in their respective Blocks. These Administrators exercised and performed all the duties of Gram Panchayats after their dissolution. After the 6th General Election of the PRIs, the new elected members of the PRIs took the charge in the month of December, 2022. During this period, an amount of Rs.15.50 Cr. was received in the accounts of Gram Panchayats from all sources and out of which an amount of Rs. 9.90 Cr. was utilized on various development works in the Gram Panchayats of Radaur block of Radaur Constituency (list attached).

पंचायतों के बैंक बेलेंस का विवरण *81 श्री बिशनलाल सैनी (रादौर)

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत प्रावधानों के मद्देनजर ग्राम पंचायतों की अविध 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो गई थी, केवल उन ग्राम पंचायतों को छोडकर जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल उस दिन पूरा नहीं हुआ था। इसी अधिनियम की धारा 52 की उप धारा 2 के अनुसार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को संबंधित खंड की समस्त ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया था। इन प्रशासकों ने ग्राम पंचायतों के विघटन के बाद उनके सभी कर्तव्यों का पालन किया। पंचायती राज संस्थाओं के 6वें आम चुनाव के बाद नव—निर्वाचित सदस्यों ने दिसम्बर, 2022 को कार्यभार ग्रहण किया। इस अविध के दौरान रादौर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक रादौर की विभिन्न ग्राम पंचायतों को 15.50 करोड़ रुपये की राशि सभी स्त्रोतों से प्राप्त हुई थी और इस राशि में से 9.90 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग विभिन्न विकास कार्यों पर किया गया, जिसकी सूचि साथ सलंग्न है।